4046/2022

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature
Acc Name- Kuldeep Saxena
Acc Code- U.P.14114104
Acc Address- Teh. Chhibramau
Distt Kannauj, Mob- 9452391157
License No- C19

Certificate No.	:	IN-UP36924536589883U
Certificate Issued Date	:	07-Jul-2022 05:02 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14114104/ KANNAUJ/ UP-KNJ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14114104658550868846546U
Purchased by	:	KOMIL SINGH SHANTI DEVI MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	HOUSE SITUATED AT SHAHANAGAR UMARDA PARGANA AND TEHSIL TIRWA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KOMIL SINGH SHANTI DEVI MEMORIAL MAHAVIDHYALA
Second Party	:	KOMIL SINGH SHANTI DEVI MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN
Stamp Duty Paid By	:	KOMIL SINGH SHANTI DEVI MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10,100 (Ten Thousand One Hundred only)

Please write or type below this line

नरेन्द्र कुमार

नरेन्द्र कुमार

0008304692

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(2)

अवधि/–	1 वर्ष के लाभांश का 6	गुना स्टाम्प
30 वर्ष	504000	10100/–

सम्पत्ति : एक किता भूखण्ड भवन निर्मित

परगना : तिर्वा

मौजा : शाहनगर उमर्दा

सम्पत्ति का विवरण : गाटा सं0 68मि0 रकवा 0.4860 हे0 मे से 5/6 भाग रकवा 0.405 व गाटा संख्या 68/3मि0 रकवा 0.6150 हे0 यानि कुल रकवा 1.020 हे0

चौहद्दी–

पूरब– खेत श्रीमती राधा

पश्चिम– नाली

उत्तर– खेत नरेन्द्र कुमार

दक्षिण– खेत अशोक कुमार आदि

नरेन्द्र कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता) : श्री कोमिल सिंह शान्ती देवी मेमोरियल महाविद्यालय पता शाहनगर उमर्दा तहसील तिर्वा जनपद कन्नौज द्वारा प्रवन्धक नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कोमिल सिंह निवासी नगला टीका करनौली छिबरामऊ जनपद कन्नौज

आधार कार्ड सं0– 6045 7545 0612

पैन कार्ड नम्बर– CDPPK2374B

मोबाइल नम्बर– 9696966970

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहता) :श्री कोमिल सिंह शान्ती देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान पता–टीका नगर करनौली कन्नौज 209721 द्वारा प्रवन्धक नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कोमिल सिंह निवासी नगला टीका करनौली छिबरामऊ जनपद कन्नौज

आधारकार्ड सं0– 6045 7545 0612

पैनकार्ड नम्बर– CDPPK2374B

मोबाइल नम्बर– 9696966970

नरेन्द्र कुमार

नरेन्द्र कुमार

जोकि प्रथम पक्ष एक किता आराजी वाकै मौजा शाहनगर उमर्दा परगना व तहसील तिर्वा जिला कन्नौज का जरिये बैनामा दिनॉक 21.09.2015 दस्तावेज नं0 6889 के द्वारा मालिक काविज है। जो तमाम वारों से पाक व साफ है। जिसे मुकिर को हर तरह से मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त भूमि पूर्व से ही धारा 143 के अर्न्तगत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित की जा चुकी है। जोकि उपरोक्त आराजी में रकवा 1.020 हे0 मात्र जिसके 10200 वर्गमी0 का लीज डीड प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनॉक 02/07/2022 से 03/07/2052 तक के लिये तकमीर की जा रही है। जिसकी अवधि 30 वर्ष के लिये मान्य होगी।

जिनकी शर्तें निम्न है।

1. यह कि तीस वर्ष का लाभांश मु0 2520000 रू0 होगा जो प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु0 2520000/– एकमुस्त प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त लाभांश प्रथम पक्ष व समिति के सभी सदस्यों को सहज स्वीकार है।

2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है। उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शर्तें हुई है इसकी लिपिवद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

नरेन्द्र कुमार

नरेन्द्र कुमार

3. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त भूखण्ड/ भवन का इस्तेमाल सिर्फ श्री कोमिल सिंह शान्ती देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान द्वारा अध्यापन कार्य या शिक्षण,प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिये लीज डीड दी है।

4. यह कि लीज डीड की अवधि 30 वर्ष होगी।

5. यह कि प्रथम पक्ष को आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधित कार्य सरकारी कार्य एवं स्वामित के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पडती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

6. यह कि लीज डीड 30 वर्ष की अवधि के उपरान्त स्वतः निरस्त हो जावेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होश हवास में व खूब सोच समझकर पढ सुनकर कता तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनॉक 04.10.2018 को प्रथम पक्ष ने मौजा शाहनगर उमर्दा परगना तिर्वा गाटा सं0 68मि0 रकवा 0.486है0 में से 5/6 भाग रकवा 0.405 है0 व गाटा संख्या 68/3मि0 रकवा 0.615 है0 यानि कुल रकवा 1.020 है0 जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अर्न्तगत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है। पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है।

नरेन्द्र कुमार

नरेन्द्र कुमार

उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर टाइप कर तैयार किया गया। विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

प्रथम गवाह–

सचिन प्रताप एडवोकेट पुत्र नरेन्द्र सिंह
निवासी सकरावा तह0 छिबरामऊ
जनपद कन्नौज

द्वितीय गवाह–

कौशल मिश्रा पुत्र श्री रामकिशोर मिश्रा
निवासी भारापुर, कसावा तह0 छिबरामऊ
जनपद कन्नौज

प्रारूपकर्ता

श्री अमित दीक्षित (एडवोकेट)
पता– तहसील परिसर
छिबरामऊ जनपद–कन्नौज